(6)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : रवीन्द्र कुमार, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 355/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 छगलाई पत्नी गुदडराम		1. गोकलराम पुत्र भभूतराम
2 गुदडराम पुत्र लाबूराम		2 गीयाराम पुत्र भभूतराम
जातियान माली, निवासीगण		3. जीयाराम पुत्र भभूतराम
ग्राम भावी जेबी, तहसील		4 भामाराम पुत्र छगनाराम
बिलाडा, जिला जोधपुर		5. हेमाराम पुत्र छगनाराम
		6 विद्यादेवी पत्नी पारसराम जातियान माली निवासीगण ग्राम भावी जेबी, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
		7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित : प्रार्थीगण की ओर से श्री नारायणसिंह सोढा एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।

अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 7 सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :- 31.7.2018

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की सयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भावी जाटावास के खसरा नम्बर 2471 रकबा 15 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा की आई हुई है। जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा व प्रार्थी गुदडराम का 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त खसरा की भूमि के पूर्वी तरफ आवागमन हेतु 12 फुट चौडा रास्ता निश्चित किया हुआ है जो रास्ता दक्षिण मे स्थित आम रास्ता से उतर की ओर खसरा नम्बर 2472, 2472/1 व 2472/2 मे प्रवेश करता है जो उक्त खसरा के पूर्वी तरफ से आगे उतर की ओर खसरा नम्बर 2473 जो प्रार्थीया छगलाई के खातेदारी की कब्जा काश्त की भूमि में प्रवेश करता है। उक्त खसरा नम्बर 2473 के पूर्व दिशा मे

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

(8)

भी प्रार्थीया द्वारा रास्ता निश्चित करवा रखा है जो उसने राज्य सरकार में 2 बिस्वा भूमि रास्ता हेतु समर्पित करवा रखी है। खसरा नम्बर 2472 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 6 विद्यादेवी के नाम से है एव खसरा नम्बर 2472/1 अप्रार्थी गोकलराम के नाम की खातेदारी का 8 बिस्वा का है व प्रार्थीया ढगलीदेवी के नाम से खसरा नम्बर 2472/2 रकबा 1 बिस्वा मौजूद है। प्रार्थीया ढगलीदेवी ने अपने इस भूमि को इस खसरा नम्बर के पूर्वी तरफ रास्ता हेतु तरमीम करवा दिया है जो मात्र 6 फुट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 2471 की सीमा से खसरा नम्बर 2473 की सीमा तक है परन्तु मात्र 6 फुट चौडा रास्ते से खसरा नम्बर 2473 मे जाकर कृषि कार्य नही किया जा सकता। क्योकि खेत में जाने हेतु ट्रेक्टर व अन्य कृषि उपक्रम ले जाने हेतु है जो 6 फुट चौडा रास्ता से नही ले जाये जा सकते। खसरा नम्बर 2473 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा मे आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता उक्त वर्णित रास्ता ही है, जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे मार्क पी-बी से ही लाल स्याही से बताया गया है। खसरा नम्बर 2471 के पूर्वी दक्षिणी सीमा पर फाटक लगाई हुई है जो फाटक अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। जबकि उक्त खसरा नम्बर की भूमि सभी की सामलाती है एव उसे रोकने का उक्त अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। खसरा नम्बर 2472 व खसरा नम्बर 2472/1 जो अप्रार्थी विद्यादेवी व गोकलराम के नाम की है एव प्रार्थीया ढगलीदेवी ने इस खसरा में से अपने हिस्से की जमीन जो 1 बिस्वा है को रास्ते हेतु तरमीम करवा दी है, परन्तु उक्त रास्ता मात्र 6 फुट ही चौडा है जिस कारण उक्त अप्रार्थीगण विद्यादेवी व गोकलराम के हक हिस्से की भूमि में से 6 फुट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 2473 की सीमा से खसरा नम्बर 2471 की सीमा तक रास्ता हेतु कायम कराया जाना आवश्यक है। खसरा नम्बर 2473 के उतर में खसरा नम्बर 2248/2 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा जो अप्रार्थी गोकलराम का है कि सीमा तक जाने हेतु प्रार्थी कतई मना नही कर रहे है इसके बावजूद भी उक्त अप्रार्थी गोकलराम व विद्यादेवी ने खसरा नम्बर 2472 व 2472/1 के पूर्वी सीमा पर जो रास्ता हमेशा से उपयोग में लाया जा रहा है परन्तु राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही होने के कारण आवागमन मे बाधा पैदा कर दी है। जिस कारण प्रार्थीगण को न्यायालय के जरिये खसरा नम्बर 2473 की सीमा से खसरा नम्बर 2471 की सीमा तक जो प्रार्थीगण का रास्ता 6 फुट चौडा अपने हिस्से अनुसार तरमीम करवाकर रास्ता तरमीम करवा दिया है के सहारे सहारे 6 फुट चौडा रास्ता उक्त खसरा नम्बर 2473 से खसरा नम्बर 2471 तक स्थित रास्ते के सहारे रास्ता कायम कर अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को दिलाया जावे एव जो रास्ता की भूमि करीब 1 बिस्वा के करीब होती है का प्रार्थीगण राज्य सरकार की निर्धारित कीमत अनुसार राशि अदा करने को भी तैयार है। खसरा नम्बर 2471 के दक्षिण पूर्वी सीमा पर अप्रार्थीगण को फाटक लगाकर जिस पर ताला लगाकर रास्ता अवरूद्ध करने का कोई अधिकार नही है। चूंकि खसरा नम्बर 2471 गै.मु. बेरा जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा स्थित है एव गै.मु. बेरा की भूमि का बंटवाडा नही किया जा सकता तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण का फाटक लगाकर ताला लगाकर आवागमन मे बाधा उत्पन्न करना कतई विधि सम्मत नही है जो

(रविन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा
सत्यमेव जयते

(67)

पूर्णरूप से विधि विरूद्ध है। अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2248/2, 2473 में आने जाने खसरा नम्बर 2471, 2472/2, 2472/1, 2472 में से रास्ता दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी संख्या 1 व 6 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण दिनांक 28.06.2019 जवाब बन्द किया गया। तारीख पेशी दिनांक 09.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 गोकलराम की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया और प्रार्थना पत्र बाबत् धारा 151 सी.पी.सी. जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लेने हेतु का पेश किया। जो प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की सहमति दी गयी तारीख पेशी दिनांक 09.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब रेकर्ड पर लिया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की सयुक्त खातेदारी की ग्राम भावी जे.बी. की सरहद में खसरा नम्बर 2471 रकबा 15 बिस्वा भूमि जरूर आयी हुयी है जो गै.मु. बेरा की भूमि है गै.मु. बेरा में से कोई रास्ता खसरा नम्बर 2472, 2472/1, 2472/2 में नही जाता है। खसरा नम्बर 2473 की पूर्वी दिशा की ओर रास्ता चलता है। प्रार्थीगण स्वय ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 2473 रकबा 2 बिस्वा रास्ता हेतु समर्पण की है जो समर्पण के आधार पर नामान्तरकरण सख्या 3193 स्वीकृत किया जा चुका है। खसरा नम्बर 2472 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी अप्रार्थी सख्या 6 विद्यादेवी की है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 2472/1 रकबा 8 बिस्वा की खातेदारी अप्रार्थी सख्या 1 गोकलराम की है। इसी अनुसार खसरा नम्बर 2472/2 रकबा 1 बिस्वा की खातेदारी प्रार्थी ढगलाई के नाम से राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजशुदा है। अप्रार्थी सख्या 1, 6 तथा प्रार्थीया ने मिलकर अपनी भूमि खसरा नम्बर 2472, 2472/1, 2472/2 के पूर्वी दिशा की ओर रास्ता रखा गया है जो रास्ता उनकी खातेदारी भूमि मे कृषि कार्य के उपयोग उपभोग के काम में आता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जरी नक्शा मे विरोधाभाषी कथन है। अप्रार्थीगण की भूमि मे से कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2473 मे आने जाने हेतु का नही चलता है तथा न ही प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की भूमि का कभी उपयोग व उपभोग किया है। प्रार्थीगण का यह कहना कतई गलत है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण का रास्ता अवरोध कर दिया है तथा न ही दिनांक 05.12.2017 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को रास्ता रोक देने की धमकी दी हो। प्रार्थीगण का भूमि खसरा नम्बर 2473 के पूर्वी दिशा की ओर रास्ता चल रहा है। खसरा नम्बर 2471 गै.मु. बेरा की भूमि है। गै.मु. बेरा की भूमि मे से कोई रास्ता नही चल सकता है। भूमि खसरा नम्बर 2471 में बेरा खुदा हुआ है। बेरा की भूमि मे से कोई रास्ता दिया जाना कानूनन प्रतिबंध है। खसरा नम्बर 2471 की भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की सयुक्त खातेदारी की है, जिसमे सयुक्त खातेदारो ने मिलकर बेरे को खुदवाया बेरा शामलाती है। बेरा ओपन खुदा होने के कारण जानवरों की रक्षा करने हेतु बेरा की भूमि के पास सयुक्त खातेदारो

(रविन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी

(68)

ने मिलकर फाटक लगायी ताकि जानवर बेरे के अन्दर नही जा सके एवं उनकी रक्षा की जा सके। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2471 के पूर्वी दिशा की ओर रास्ता चल रहा है तो नया रास्ता कायम नही किया जा सकता है। प्रार्थी सुविधाजनक रास्ते की आड मे नया रास्ता कायम नही करवा सकता है। अन्त मे जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का आदेश फरमावे।

मौजूदा मामला धारा 251 ए राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत होने से अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार बिलाडा को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक 848 दिनांक 17.05.2019 के द्वारा लिखा गया। जिसकी पालना मे तहसीलदार बिलाडा ने अपने पत्र क्रमांक 901 दिनांक 30.05.2019 को मौका रिपोर्ट पेश की जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 2473/1 मे आने का वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कोई कच्चा पक्का निर्माण नही है, परन्तु प्रार्थी एवं अन्य खातेदारो की संयुक्त खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 तक ने हरी स्याही से मार्क ए बी पर दो पक्के पिल्लर लगा कर लोहे की फाटक लगा कर बंद किया हुआ है। संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2471 रकबा 15 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा है। खसरा नम्बर 2472/2 रकबा 1 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड मे तरमीमसुदा दर्ज है जो मौके पर रास्ते के रूप मे काम मे आ रही है, जिसकी चौडाई 6 फीट है जो कि रास्ते के रूप मे कम चौडा है। उक्त रास्ता कम चौडा होने से प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2472 एवं 2472/1 मे से चाहे गये रास्ते का रकबा कुल 2 बिस्वा बनता है। खसरा नम्बर 2472/1 की नक्शा लठ्ठा मे तरमीम नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता खसरा नम्बर 2472 एवं 2472/1 का रकबा 2 बीघा बनता है जिसकी डी.एल.सी. दर 51750 रूपये प्रति बीघा सिंचित की दर से प्रस्तावित भूमि की दुगुनी राशि 10350 रूपये बनती है।

हमने उभय पक्षकारान के योग्य अधिवक्ताओ की बहस सुनी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत मे कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थी को अपने खेत मे आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1, 6 तथा प्रार्थीया ने मिलकर अपनी भूमि खसरा नम्बर 2472, 2472/1, 2472/2 के पूर्वी दिशा की ओर रास्ता रखा गया है जो रास्ता उनकी खातेदारी भूमि मे कृषि कार्य के उपयोग उपभोग के काम मे आता है और प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2473 के पूर्वी दिशा की ओर रास्ता चल रहा है। खसरा नम्बर 2471 गै.मु. बेरा की भूमि है जिसमे से रास्ता दिया जाना कानूनन प्रतिबंध है और प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के योग्य अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

(69)

होता है कि खसरा नम्बर 2472/2 रकबा 1 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप मे काम मे आ रही है जिसकी चौडाई 6 फुट है जो रास्ते के रूप मे कम चौडा है तथा उक्त रास्ते से पहले अप्रार्थी संख्या 1 से 5 तथा प्रार्थी गुदडराम की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2471 रकबा 15 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा की भूमि आयी हुयी है। जिसमे प्रार्थी स्वयं गुदडराम का 1/3 हिस्सा निहित है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में से आने जाने हेतु का पूरा अधिकार है तथा उक्त खसरा नम्बर 2472/2 रास्ते की भूमि तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 2471 गै.मु. बेरा की भूमि से होकर गुजरना पडता है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने फाटक लगाकर बंद कर दिया है। तहसीलदार बिलाडा की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की बीना सहमति के संयुक्त खातेदारी भूमि मे अप्रार्थीगण द्वारा फाटक लगाकर रास्ता बंद किया गया है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे स्वयं ने ताईद किया है कि खसरा नम्बर 2248/2, 2473/1 मे पहुंचने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की भूमि खसरा नम्बर 2472, 2472/1, 2472/2, 2473 के पूर्व दिशा की ओर रास्ते हेतु भूमि समर्पण की है तथा उक्त समर्पित भूमि के आगे खसरा नम्बर 2471 रकबा 15 बिस्वा गै.मु. बेरा की भूमि आयी हुयी है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खसरा नम्बर 2472, 2472/1, 2472/2 से पहले अप्रार्थी संख्या 1 से 5 तथा प्रार्थी संख्या 2 गोकलराम की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2471 रकबा 15 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा की भूमि आयी हुयी है तथा उक्त भूमि में से पूर्व मे रास्ता निकला हुआ है जो कि खसरा नम्बर 2472 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा प्रार्थी संख्या 2 गोकलराम की भूमि तक जाता है। जिसको अप्रार्थीगण द्वारा लोहे की फाटक लगाकर बंद किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नम्बर 2473/1, 2248/2 मे काश्तकार्य करने हेतु भूमि खसरा नम्बर 2472/2, 2472/1, 2472, 2471, 2473 के ए.बी.सी.डी. भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 2473/1, 2248/2 मे पहुंचता है मौका कमीश्नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होता है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नम्बर 2473/1, 2248/2 में काश्त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर काश्त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थीगण को अपने खेत मे कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग की भूमि को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 2471 रकबा 15 बिस्वा मे प्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है तथा प्रार्थी की सहमति के बिना अप्रार्थीगण ने फाटक लगाई है ओर प्रार्थीगण को अपने खेतों मे कृषि कार्य करने हेतु जाने से रोका है अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को उक्त फाटक को प्रार्थी के आने जाने हेतु खुला रखे तथा प्रार्थीगण को आवागमन मे बाधा उत्पन्न नही करे। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता भूमि खसरा नम्बर 2473, 2472/2 तथा खसरा नम्बर 2471 में पूर्व दिशा मे से होकर गुजरता है जो 12 फुट चौडा रास्ते की भूमि घोषित की जाती है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि के

(रविन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

(78)

चैक अदा कर इस न्यायालय को चैक की प्रति पेश करेंगे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 28.05.2019 को इस आदेश के साथ अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेशग करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

31.7.2019
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

31.7.2019
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा